

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
दिनांक :
क्रमांक :- ई-18/एम/वोल्यूम- /2018/

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 1116 दिनांक 18.06.2008 के द्वारा स्व0 श्री छोटू सिंह राजपूत, वरिष्ठ सहायक को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया था को पेंशन विभाग द्वारा लगाये गये आक्षेप के संदर्भ में निरस्त करते हुए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार स्व0 श्री छोटू सिंह राजपूत, वरिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहपुरा, (भीलवाड़ा) जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 30.05.1981 है, को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 30.05.2008 से पे-बेण्ड 5200-20200 व ग्रेड पे 2800 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

5/12
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर
दिनांक : 01/02/18

क्रमांक :- ई-18/एम/वोल्यूम- /2018/262

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को उनके पत्र क्रमांक 8917 दिनांक 14.11.2017 के क्रम में लेख है कि अधिक भुगतान की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही कर पेंशन प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करावें। संलग्न:-सेवा पुस्तिका।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहपुरा, (भीलवाड़ा)।
3. स्व0 श्री छोटू सिंह राजपूत, वरिष्ठ सहायक के परिवार जन को उनके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सूचनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर